भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1129
सोमवार, 10 फरवरी, 2025/21 माघ, 1946 (शक)

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना द्वारा रोजगार सृजन

1129. श्री धर्मेन्द्र यादव:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) रोजगार के नए अवसर सृजन हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई थी;
(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की शुरुआत के बाद सृजित रोजगार का ब्यौरा क्या है;
(ग) एबीआरवाई की शुरुआत के बाद से उत्तर प्रदेश में रोजगार पाने वाले युवाओं का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के संदर्भ में वांछित परिणाम प्राप्त हुए हैं; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): कोविड-19 महामारी के दौरान नए रोजगार के सृजन और रोजगार के नुकसान की बहाली के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए 1 अक्टूबर, 2020 से आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) शुरू की गई थी। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31.03.2022 थी। 31 मार्च, 2022 तक पंजीकृत लाभार्थियों को योजना के तहत पंजीकरण की तारीख से 2 साल तक लाभ मिलता रहा। इस योजना का उद्देश्य कुल 71.80 लाख सदस्यों को लाभान्वित करना था और पंजीकरण की अंतिम तिथि तक योजना के तहत कुल पंजीकरण 75.11 लाख है।

योजना की शुरुआत से लेकर 31.03.2024 तक, देश में 60.49 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है, जिनमें से 4.34 लाख लाभार्थी उत्तर प्रदेश राज्य से थे।

**